



शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्,
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था)
डाकघर : कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड, जोधपुर - 342005

ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE

Indian Council of Forestry Research & Education,

(An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)

P.O. Krishi upaz Mandi, New Pali Road, Jodhpur- 342005

Speed Post



AFRI-GST NO.-GSTIN 08AAAAI1708GIZI

क्रमांक /शुवअसं/सुएवंसे/भंडार/सुएवंसे(अ.गृ.एवं स. से.प्र.)/241(III)/2020

दिनांक: 03 मार्च, 2020

1966
सेवा में

विषय:- फर्नीचर के मरम्मत के कोटेशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन निदेशक को संबोधित करते हुए कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। विषय लिखा हुआ बंद लिफाफा इस कार्यालय में दिनांक 13.03.2020 दोपहर 3.00 तक प्राप्त हो जाना चाहिये। नियत दिनांक 13.03.2020 को 4.00 बजे प्राप्त कोटेशन खोले जायेंगे।


क्रम. सं.	कार्य/क्रय का विवरण	कार्य /क्रय की मात्रा
1.	Repairing and poshish work_of Old wooden Sofa Sets with seating (3+1+1=5) for Conferene hall, Scientist Hostel. Reparing of wooden frames, Change of springs, Change 3" thickness of foam 32 density back and Change 4" thickness of foam 40 density seating with (Kurlon) & good quality for each seat, Change cloth minimum Rs. 200-250 per RMT as per the approval of office , melamine polish on Legs. Compele Labour and transport of sofa sets To and Fro from AFRI.	3 Sofa Sets

शर्तें-

- लिफाफे पर " फर्नीचर के मरम्मत के कोटेशन" अवश्य लिखे।
- अगिम भुगतान नहीं किया जायेगा। हालांकि, सामग्री/कार्य नियत समयावधि में प्राप्त होने/पूर्ण होने पर भुगतान 30 दिनों के भीतर आम तौर पर किया जाता है।
- आपूर्ति आदेश में दर्शायी गई सामग्री/कार्य नियत समयावधि में संतोषजनक रूप से आपूर्ति होने/कार्य होने के पश्चात ई-भुगतान से भुगतान किया जाएगा।
- कोटेशन में प्रस्तावित मात्रा को सक्षम अधिकारी की अनुमति से आपूर्ति आदेश/कायदेश में बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
- कोटेशन में दर्शायी सामग्री/कार्य की विशिष्टियां के अनुसार नहीं मिलने पर कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा/नहीं माना जाएगा।
- यदि मुद्रित साहित्य, परिचालन मैनुअल आदि के कोटेशन होते हैं, तो फर्म को अधिकृत विक्रेता के प्रमाण पत्र की एक प्रति कोटेशन के साथ प्रस्तुत की जानी होगी।
- कोटेशन की प्राप्ति तारीख से सामग्री/कार्य की दर 6 महीने के लिए वैध मान्य होगी।
- आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाने पर आपको माल/कार्य आपूर्ति आदेश/कायदेश में दर्शायी अवधि तक पूरी मात्रा में पहुंचाना होगा/पूर्ण करना होगा।
- आपको जारी आपूर्ति/कार्य आदेश में दर्शायी अवधि में परिवर्तन किया जाना है, तो आपूर्ति/कार्य आदेश की जारी तिथि से सात दिवस के अन्दर सूचित करना होगा। यदि आप माल पहुंचाने का समय आपूर्ति आदेश की जारी तिथि से सात दिन के अन्दर सूचित नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि आपके प्रस्तावित समय के अन्दर माल/कार्य पहुंचाना/करना स्वीकार कर लिया है, क्योंकि समय ही इस प्रस्ताव की सार वस्तु है।
- प्रस्तावित समय के अन्दर आपको माल/कार्य पहुंचाने/कार्य पूर्ण करने की विफलता की स्थिति में सक्षम अधिकारी, अन्यत्र से माल खरीदने/कार्य करवाने तथा उनकी कीमतों में जो अन्तर आएगा उसे वसूल करने का अधिकारी होगा।

11. माल किराया भाडा चुकाते हुए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर पहुँचाना होगा और उसे अन्य स्थान पर दिया जाना हमें स्वीकार नहीं होगा।
12. व्यापार की शर्तों का ब्यौरा जैसे पैकिंग और प्रेषण व्यय, माल पहुँचाने की अवधि, ब्रिकी कर, जी.एस.टी. तथा अन्य कर/प्रभार, यदि कोई हो, माल पर बट्टा मिलने की वैध अवधि, निःशुल्क माल पहुँचाई, पैकिंग या कोई भी अन्य जानकारी जो आपूर्ति/कार्य से संगत हो, दी जाए।
13. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री या कार्य की पूरी विशिष्टियों, ब्यौरा व अन्य जानकारी जैसे-निर्माता, आकार इत्यादि दी जाए तथा छपा साहित्य और नमूने जहाँ संभव हो भेजे जाएं।
14. कृपया यह नोट करे कि सरकारी आदेश के अनुसार कोई बीमा शुल्क नहीं दिया जा सकता है। सामग्री/कार्य को कोटेशन के अनुसार सही हालत में पहुँचाने/कार्य करने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता/कार्य करने वाली फर्म की है और टूट-फूट, चूने, टपकने से हुई कमी की हालत में क्षतिपूर्ति आपूर्तिकर्ता के बिल से काटी जायेगी।
15. कोटेशन लैटर हैड पर ही स्वीकार किये जाएँगे। सादा पेपर पर या लेटर हैड की छायाप्रति पर दरे भर कर मोहर लगा कर दिये जाने वाले कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16. कोटेशन में दी गई दरों में काट-छाट होने पर अपने हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा और अगर आप इच्छुक हों तो कोटेशन खुलने के समय स्वयं उपस्थित हो सकते हैं अथवा अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं।
17. कोटेशन में फर्म को पैन/टिन/जी.एस.टी.नम्बर इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा।
18. कोटेशन में दर, जी.एस.टी. एवं अन्य करों का अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा और दर में जी.एस.टी. एवं अन्य कर शामिल है या नहीं का स्पष्ट किया जाना होगा।
19. कोटेशन मोहरबंद लिफाफे में पोस्ट/स्पीड पोस्ट में नियत समयावधि में कय अनुभाग में भिजवाना होगा और कय अनुभाग में रखे "निविदा पेटी" (Tender Box) से कोटेशन नियत तिथि को निकाल कर खोले जाएँगे।
20. निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा और किसी भी विवाद के मामले में निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर का निर्णय बाध्यकारी होगा।
21. कोटेशन में कुल राशि का योग एक लाख या अधिक होने पर फर्म को कुल राशि का 2 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में जमा करवाना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि भारत की किसी भी वाणिज्यिक बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवायी जायेगी। धरोहर राशि जमा नहीं करवाने पर आपके कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जायेगा। आपकी फर्म के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से पंजीकृत होने पर धरोहर राशि जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी फर्म के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से पंजीकृत होने के साक्ष्य कोटेशन के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने पर आपके कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
22. आपूर्ति आदेश/कायदेशि जारी करते समय उक्त शर्त एवं आपूर्ति आदेश/कायदेशि में दर्शाये शर्तें मान्य होगी।
23. कोटेशन का विवरण हमारी वेब साइट- <https://afri.icfre.org> पर भी उपलब्ध है।
24. फर्नीचरों की अच्छी तरह जांच करने के बाद ही कोटेशन प्रस्तुत करें। फर्नीचरों की जांच हेतु श्री रतना राम लोहरा, प्रभारी अधिकारी, अतिथि गृह एवं सहायक सेवाएँ प्रकोष्ठ से सम्पर्क करें।

भवदीय,


(कृपा चन्द जोधपुर)

भंडार अधिकारी

प्रतिलिपि:- कोटेशन खोलने हेतु नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का श्रम करें:

1. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखा अनुभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।
2. श्री रतना राम लोहरा, प्रभारी अधिकारी, अतिथि गृह एवं सहायक सेवाएँ प्रकोष्ठ द्वारा: प्रभागाध्यक्ष, सुविधा एवं सेवा प्रभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, सुविधा एवं सेवा प्रभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- आपसे अनुरोध है कि यह कोटेशन आमंत्रण पत्र सूचना को वेब साइट पर देने का श्रम करें।
4. सूचना पट्ट